

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक :- ०६

दिनांक : ०५/०१/२०२६

आदेश

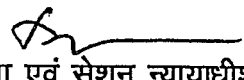
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश १८ नियम ४(२) एवं तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधिपति के निर्देश दिनांक ०४.०५.२०११ के मुताबिक कोटा मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को वर्ष २०२६ के लिये कमिशन पर बयान लेने हेतु कमिशनर नियुक्त किया जाता है :-

S. No.	Name of Advocate	Anrolment No.	Anrolment Year	Contact Number
सांगोद मुख्यालय				
1	Jitendra Kumar	R/2568	2014	9950488074
2	Umashankar	R/729	2010	9024711680
3	Pramila Kumari Swarnkar	R/2119	2008	9414300264
4	Chetan Prakash Suman	R/2642	2008	9929449634
5	Chaganlal Saini	R/4373	2007	9252169180
6	Abdul Vaheed Ansari	R/269	1975	7976436647
दीगोद मुख्यालय				
1	Vivek Sharma	R/4215	2023	9057670939
2	Rahul Choudhary	R/266	2018	7073030707
3	Deendyal Sen	R/2098	2004	9829490246
इटावा मुख्यालय				
1	Radheshyam Nama	R/1062	2006	9414649846
2	Lekhraj Prajapati	R/990	2002	7458225555
3	Vijendra Singh Hada	R/824	2000	9414539016
4	Narendra Singh Hada	R/441	1994	7073220329
कनवास मुख्यालय				
1	Badrilal Merotha	R/2052	2005	9829203281
2	Mahesh Kumar Malav	R/1351	1999	9928843616
3	Revatiraman Nagar	R/437	1991	9887736940
रामगंजमण्डी मुख्यालय				
1	Anwar Ali	R/1556	2022	9660087058
2	Saiyyad Imran Ali	R/1454	2022	9261789421
3	Kamlesh Kumar	R/4049	2021	8003784344
4	Abhinav Gupta	R/2187	2020	8118803073
5	Ram Gopal Rathor	R/435	1989	9001826110

नोट- ०१. संबंधित न्यायालय सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया (AIR 2003 S.C.189) एवं सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया (AIR 2005 S.C. 3353) में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कमिशनर नियुक्त करें।

०२. कमिशनर की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर की जावे।

०३. प्रत्येक कमिशनर को, जिसे साक्षी के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाता है, साधारण नियम सिविल एवं क्रिमिनल २०१८ के आदेश २० नियम ४३ (४) के अनुसार उक्त कार्य के लिये (प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जो उचित हो) न्यूनतम पारिश्रमिक २००/-रुपये एवं अधिकतम ५००/-रुपये देय होंगे।

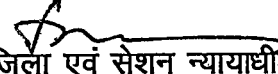

 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 कोटा

क्रमांक:- 402-419

दिनांक : 05/01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी/सांगोद, जिला-कोटा
- ✓ 2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद/दीगोद/रामगंजमण्डी जिला-कोटा
- ✓ 3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्नवास/दीगोद/इटावा/रामगंजमण्डी,
- ✓ 4. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, रामगंजमण्डी/सांगोद/दीगोद/कर्नवास/इटावा को प्रेषित कर निर्देश है कि वे नियुक्त आयुक्तों को उनकी प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करावें।
5. प्रोटोकॉल ऑफिसर/वरिष्ठ मुंसरिम/रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
- ✓ 6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा अपलोड करने हेतु।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

M. A. L. N.
5/1/24

All matter
courtesy/Plc
6.09 PM